(एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 141/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अणछी पत्नी पूराराम 2. कानाराम पुत्र तेजाराम 3. खेमाराम पुत्र देराजराम 4. जोगाराम पुत्र पूराराम 5. दुर्गाराम पुत्र पूराराम 6. पदमाराम पुत्र पूराराम 7. रूपाराम पुत्र देराजराम 8.रायमलराम पुत्र कोहलाराम 9. रिधु पत्नी देराजराम 10. वेहनाराम पुत्र पूराराम 11. शेराराम पुत्र देराजराम 12.हडूमानराम पुत्र कोहलाराम जातियान जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा		1. कंवराराम पुत्र किशनाराम 2. घमंडाराम पुत्र किशनाराम 3. बींजाराम पुत्र किशनाराम 4. वीरमाराम पुत्र किशनाराम जातियान जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री पाबूराम बेनीवाल,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 27.03.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 176/12 रकबा 3.3978 हैक्टयर [illegible] बिलासर पटवार क्षेत्र [illegible]ठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं स[illegible] के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 4 का खेत खसरा संख्या 115/6 रकबा 3.6971 हैक्टयर भूमि आई हुई है। विप्रार्थी सं.

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1 से खातेदारी के सेढ़ा सेढ़ लगती हुई राज्य सरकार को समर्पित भूमि किसी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी होने के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 4 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 04 तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम बिलासर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 115/6 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पाबूराम बेनीवाल की तरफ वकालतनामा पेश करते हुए मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 176/12 रकबा 3.3978 हैक्टयर ग्राम बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का खेत खसरा संख्या 115/6 रकबा 3.6971 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 4 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 04 तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम बिलासर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 115/6 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को ग्राम बिलासर के खेत खसरा संख्या 102/1, 4, 115/6 व 185/7 के साथ–साथ ग्राम टाकूबेरी के खसरा संख्या 313/240 में से रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में भूमि का आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने भी प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त हुई जिस पर आपत्ति यह है कि प्रार्थीगण का घर बना हुआ है और प्रार्थीगण के ओरडी के आगे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है जबकि मेरे घर से बिल्कुल आगे से रास्ता निकालना न्यायसंगत नहीं है जंहा मेरा घर बना हुआ है उसके पड़ौसी खसरा संख्या 243/237 व 239 ग्राम टाकूबेरी से निकाला जाता है तो एक तो कम दूरी और रास्ता भी वंहा पर खुलवाया जावे जो न्याहित में है। वर्तमान में मेरे घर में मेरे पड़ौस में समर्पित सरकारी भूमि ग्राम टाकूबेरी खसरा संख्या 313/240 में प्रस्तावित है तथा उसके समानान्तर खसरा संख्या 239 व 243/238 में प्रस्तावित किये जावें। मोका अर्थात तथ्यात्मक रिपोर्ट में अकित नही किया गया है कि प्रार्थी की आवश्यकता अत्याधिक आवश्यकता है जिसे यह भली भाति साबित है कि प्रार्थी ने अपने धनबल व बाहुबल के आधार पर अपने जोत की सुविधा व किमत बढाने के लिए विप्रार्थीगण की कृर्षी की आराजी को रास्ता में परिवर्तन कराने के लिए यह रास्ता का आवेदन पेश किया है जिस आधार उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट काबिले खारीज है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि [illegible] निर्मित घर के पीछे से रास्ता लिये जाने हेतु वह सहमत है, परन्तु उस[illegible] घर [illegible] आगे से किसी प्रकार का मार्ग दिये जाने में वह सहमत नहीं है साथ ही यह [illegible] कथन किया कि ग्राम टाकूबेरी के खेत खसरा नम्बर 313/240 से लगते हुए [illegible] संख्या 243/238 में से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु कम दूरी होने से निकटतम रास्ते के रूप में खसरा संख्या 243/238 में से नया मार्ग कटाण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विप्रार्थी संख्या 19 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(तहसील कार्यलय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निरतारण किया जावें।

हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा बिलासर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 176/12 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए नये रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2024 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 3272/12.12.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा बिलासर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 176/12 में पहुचनें के लिए निकटतम सड़क मार्ग के बीच खसरा संख्या 102/1,115/6,185/7 व 313/240 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा अपनी ओर प्रस्तुत बहस के तथ्यों में भी उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी जोत तक आवागमन का कोई वैकल्पिक जरिये नहीं होने तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने एवं सबसे निकटतम दूरी पर सड़क मार्ग से जुड़ने का एक मात्र विकल्प विप्रार्थीगण सं. 1 से 04 के खसरा संख्या 115/6 के साथ–साथ खसरा संख्या 102/1 व खसरा संख्या 4 जो PWD के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 185/7 जो सम्पूर्ण किस्म बै.मु. रास्ता को जोड़ते हुए आवागमन की सुख सुविधा हेतु पेश किया। कि प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा सबसे निकटतम दूरी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कि[illegible] हेतु निर्धारित विधिक प्रावधान अर्थात् प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक [illegible] का विकल्प का उपलब्ध नहीं होना, आत्यंतिक आवश्यकता का होना एवं सबसे [illegible]टतम विकल्प विप्रार्थीगण के खेत में से होना सभी प्रार्थीगण के [illegible] विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के खेत से लगती हुई सीमा पर ही खसरा संख्या 185/7 गै.मु. रास्ता के रूप में होने से प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार प्रार्थीगण के तथ्यों को मजबूती प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

करने से प्रार्थीगण का आवेदन प्रथम दृष्टया विधि पोषित एवं वैध प्रावधानों के अनुरूप होने से स्वीकार योग्य है। तथा तहसीलदार सिणधरी की मौका रिपोर्ट भी प्रार्थी की जायज व विधिक मांग की पुष्टि करती है, तथा रास्ते में आने वाले विप्रार्थीगण की भूमि के ऐवज में निर्धारित प्रतिफल की राशि प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तत्पर है, प्रार्थीगण क्षर्तिपूति/प्रतिफल राशि का भुगतान कर रास्ता प्राप्त करना चाह रहे है, प्रस्तावित रास्ता सभी विप्रार्थीगण के खेत के एक सेढे/सीमा से लगता हुआ होने से खेतो के टुकड़े भी नहीं हो रहे है। जहां तक विप्रार्थी सं. 1 की दलील में वर्णित तर्क आवेदन के तथ्यों पर इस कारण लागू नहीं होते है कि प्रार्थी द्वारा वाछिंत अधिनियम के तहत आावगमन हेतु रास्ते हेतु भूमि की मांग की गई है, जिसके तहत अधिनियम के प्रावद्यानों के तहत गुणावगुण के आधार पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा बाद जांच तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 102/1(सरकारी खातां सं. 1) क्षेत्रफल 0.2184 हैक्टयर में लम्बाई 20 गट्ठा व चौड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा संख्या 115/6 क्षेत्रफल 3.6971 हैक्टयर में लम्बाई 25 गट्ठा व चौड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0.0405 हैक्टयर व लम्बाई 27 गट्ठा व चौड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0.0437 हैक्टयर खसरा संख्या 185/7 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म गे.मु. रास्ता सम्पूर्ण तथा ग्राम टाकूबेरी के खसरा संख्या 313/240 (समर्पित भूमि वर्तमान में खाता सं. 1 सरकारी) मे लम्बाई 20 गट्ठा व चोड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0. 0324 हैक्टयर भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल. सी. दर सिचित सड़क के पास राशि– 1265000/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलासर तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 102/1(सरकारी खातां सं. 1) क्षेत्रफल 0.2184 हैक्टयर में लम्बाई 20 गट्ठा व चौड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा संख्या 115/6 क्षेत्रफल 3.6971 हैक्टयर में लम्बाई 25 गट्ठा व चौड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0. 0405 हैक्टयर व लम्बाई 27 गट्ठा व चौड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0.0437 हैक्टयर खसरा संख्या 185/7 रकबा 0.0728 हैक्टयर किस्म गे.मु. रास्ता सम्पूर्ण तथा ग्राम टाकूबेरी के खसरा संख्या 313/240 (समर्पित भूमि वर्तमान में खाता सं. 1 सरकारी) मे लम्बाई 20

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

गट्ठा व चौड़ाई 4 गट्ठा रकबा 0.0324 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ----दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी नियमानुसार राजकीय भूमि व खातेदारी भूमि की क्षतिपूर्ति राशि की गणना करते हुए संदाय योग्य राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./2024/3272 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीशसिंह आशिया.)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested